न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहुजा, आर.ए.एस.

विविध आवेदनपत्र संख्या 31/2018
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर श्रीगंगानगर

......**प्रार्थी**

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. मथरा देवी पत्नी रामकुमार
3. सुभाष चन्द्रपुत्र रामकुमार
4. अनुसूइया पुत्री रामकुमार
5. बलराम पुत्र श्री मनीराम(फौत)
6.1 सुमित्रा पत्नी बलराम
6.2 सरजीत पुत्र बलराम
6.3 कृष्णलाल पुत्र बलराम

जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप पंजीयक व तहसीलदार श्रीगंगानगर
8 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.......**अप्रार्थीगण**

उपस्थित–श्री विजय रेवाड अधिवक्ता (प्रार्थी)
श्री काशीराम रणवा अधिवक्ता (अप्रार्थी–2ता5)
श्री पवन शाक्य अधिवक्ता (अप्रार्थी–6/1ता6/2)
पैरोकारा राज (अप्रार्थी–8)

।। आदेश ।।

दिनांक 08 मई, 2018

आवेदनपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 20 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की खतौनी संख्या 53/55 के मु.नं. 64 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.199 हैटर, मु.नं. 65 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23 में 2.783 हैक्टर नहरी कुल 8.982 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिमसें प्रार्थी के नाम 0.299 हैक्टर रकबा दर्ज है। तहसील सादुलशहर के 15 एल एल जी की खतौनी संख्या 85/80 के पत्थर नम्बर 7/183 के मु.नं. 31 के किला नं. 6, 7, 11 ता 19, 23 ता 25 में 3.5420 हैक्टर नहरी, पत्थर नम्बर 7/184 के मु.नं. 33 के किला नं. 3 ता 7, 14, 15 में 1.7710 हैक्टर नहरी कुल 5.3130 हैक्टर में 1/5 हिस्सा दर्ज है। तहसील सादुलशहर के चक 16 एल एल जी की खतौनी संख्या 68/71 के पत्थर नम्बर 6/184 के मु.न. 21 के किला नं.1 ता 17 में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

4.1740 हैक्टर नहरी मय खाला पत्थर नम्बर 4/189 के मु.नं. 53 के किला नं. 18, 18 में 0.5060 हैक्टर कुल दोनों मुरब्बों में 4.6800 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। आवेदक को खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में पानी की भराई खिंचाई आदि में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते आती हैं व खाता सांझा रहने से बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नहीं मिल पाता इस कारण काब्जा काश्त अनुसार हक व हिस्सा अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक व जरूरी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 झगडालू स्वभाव के हैं व ऐलानिया कह रहे है कि हम तो सडक व रास्ता के साथ वाला रकबा रहन बैय करेंगे तुम्हारे नाम रास्ता की सुविधा नहीं देगे तथा तुम्हारे द्वारा जो गऊशाला की देसी खाद जिन किलों में डाली है उन किलों का कब्जा हम खरीददारान को संभला देंगे। इससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और प्रार्थी अपने हक व हिस्सा से महरूम हो जोयेगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह दौराने दावा वाके चक 20 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता 53/55 8.982 हैक्टर, तहसील सादुलशहर के चक 15 एल एल जी खतौनी संख्या 85/80 की 5.3130 हैक्टर नहरी मय खाल व चक 16 एल एल जी की खतौनी संख्या 68/71 के 4.6800 हक्टर नहरी मय खाला नहरी रकबा को बिना खाला तकसीम करवाये रहन बैय नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त के करबा में दखल अंदाजी नहीं करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

अप्रार्थीगण 1 ता 6/3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 7 की तामील वास्ते रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे जाने पर व तामील होने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 09.3.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की ओर से दिनांक 01.05.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा सं 2 में अप्रार्थी की वंशावली दिखाई गई है वह पूर्ण नहीं है। इस वंशावली में राम कुमार के वारिसान को नहीं दर्शाया गया है जबकि रामकुमार के वारिसान में अप्रार्थी सं.2 ता 5 को पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वादी के पिता मनीराम के वारिसान में केवल उनके चार पुत्र दर्शाये है। जबकि उनकी एक पुत्री रामी देवी मौजूद है जिसे दर्शाया नहीं गया है न उसे पक्षकार बनाया गया है। ऐसी सूरत में दावे में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाये जाने का दोष है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 में चक नम्बर, खतौनी नम्बर व मुरब्बा नम्बर व उनके किला नम्बरान का विवरण राजस्व रिकार्ड अनुसार होने के बारे में आपत्ति नहीं है परन्तु भूमि धारकों का जो विवरण दिया गया है वह सही नहीं होने से स्वीकार नहीं है। मनीराम की मृत्यु के बाद मनीराम का हिस्सा चक 15 एल एल जी व 16 एल एल जी की भूमि उसके चारों लडकों व पुत्री रामी देवी को विरास्तर प्राप्त हुआ था। चक 16 एल एल जी की भूमि के बारे में रामी देवी ने अपना हक अपने चारों भाईयों के हक में

दस्तबरदारी से छोड दिया था। चक 15 एलएल जी में बलराम, महावीर प्रसाद ने साजिश कर रामी देवी से उसका कुल हिस्सा जो कुल भूमि में 1/5 हिस्सा था, की दस्तबरदारी केवल बलराम व महावीर ने अपने हक में करवा ली थी जबकि एक सह खातेदार किन्ही विशेष सहखातेदारान के हक में दस्तबरदारी करने में सक्षम नहीं है। यदि ऐसी दस्तबरदारी की जाती है तो उस दस्तबरदारी देने वाले व्यक्ति का कुल हिस्सा शेष तमाम हिस्सेदारों के हक में दस्तबरदार किया हुआ कानूनन माना जाता है और ऐसी सूरत में इस दस्तबरदारी से रामी देवी का जो हिस्सा केवल बलराम व महावीर को देकर खाते में जो उनका हिस्सा बढा था वह विधिविरूद्ध व गलत है और रामी देवी द्वारा दस्तबरदार होने से उसका हिस्सा उसके चारों भाई श्रवण कुमार, बलराम, रामकुमार व महावीर को बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हुआ है और इसी लिहाज से जमाबंदी में इन्द्राज होना है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को झगडालू स्वभाव का बताया गया है वह कतई झूठ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के बारे में ऐसा गलत अंकन केवल इस पैरा में दर्ज तथ्यों की पुष्टि में झूठा दर्ज किया है। मन अप्रार्थी इस संयुक्त भूमि के किन्ही किला विशेष को न तो रहन, बैय कर रहे हैं और न किन्ही विशेष किलाजात पर कब्जा करने की कोशिश में है न प्रार्थी के कब्जा के किलाजात में दखलन्दाजी कर रहे हैं न प्रार्थी के कब्जा के किला को रहन बैय कर रहे हैं यह आरोप प्रार्थी ने झूठे लगाये है। अप्रार्थी किसी विशिष्ट किलाजात को विक्रय नहीं कर रहे हैं। अप्रार्थी को इस खाता में से अपने हिस्से को विक्रय करने से कानूनन निषेध नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी को अपना हिस्सा विक्रय करने का कानूनन अधिकार है। इस आधिकार से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से वंचित नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण का अपने हिस्से को बेचान करने से प्रार्थी अपने हक व हिस्से से महरूम नहीं हो सकता है। अप्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा विक्रय करने से मुकदमेबाजी भी नहीं बढेगी। यह आरोप निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

उभयपक्ष अपने हिस्से से अधिक व किसी किला विशेष भूमि का बेचान न करे। प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के निर्णय के साथ किया जावेगा। पत्रावली दायरा नम्बर से होकर वाद संख्या 24/2018 के संलग्न हो।

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय आज दिंनाक 08 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर